



होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड
Homoeopathy Education Board
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
National Commission for Homoeopathy

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan 61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: 011-28520607 | Email id: heb-nch@gov.in | Website: www.nch.org.in



फाइल संख्या: EH-37/1/2026-NCH / 3646-3650

दिनांक: 21 MAY 2026

प्रति

- सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव (डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित), जिनसे संबद्ध/घटक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं - सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
- सभी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के प्राचार्य (निदेशक, एन.आई.एच. कोलकाता एवं एन.ई.आई.ए.एच. शिलांग सहित)

विषय: बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम 75% उपस्थिति की अनिवार्यता के अनुपालना के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम - बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.) विनियम, 2022) के विनियम 9 के उप-विनियम (4) के अनुसार, बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह प्रत्येक विषय में सिद्धांत/व्याख्यान घंटों तथा प्रायोगिक एवं क्लिनिकल/गैर-व्याख्यान घंटों में पृथक रूप से कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रखे।

2. यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी स्तर यह पाया जाता है कि किसी छात्र को अनिवार्य 75% उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है, तो ऐसे छात्र/छात्राओं के लिए संबंधित कॉलेज द्वारा आयुष एजुकेशन पोर्टल पर MQRL जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार अथवा संसाधित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में संबंधित संस्थान के विरुद्ध राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।

3. तदनुसार, बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त निर्देशों का तत्काल संज्ञान लें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यार्थी उपर्युक्त मानदंडों को पूर्ण किए बिना किसी भी व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित न हो। इस संबंध में किसी प्रकार का अपवाद स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(डॉ. रजत चट्टोपाध्याय)

अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनाार्थ (ई-मेल द्वारा):

- श्रीमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली।
- श्रीमान सचिव, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली।
- गार्ड फाइल।





होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड
Homoeopathy Education Board
राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग
National Commission for Homoeopathy

Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhawan 61-65, Institutional Area, Opp 'D' Block Janakpuri, New Delhi-110058

Ph.: 011-28520607 | Email id: heb-nch@gov.in | Website: www.nch.org.in



File No. EH-37/1/2026-NCH) 3646-3650

Dated: 21 MAY 2026

To

1. The Registrars of all Universities (including Deemed Universities) having affiliated/constituent Homoeopathic Medical Colleges – All States/UTs
2. The Principals of all Homoeopathic Medical Colleges & Hospitals (including Director, N.I.H. Kolkata & NEIAH, Shillong)

Sub: Mandatory compliance with minimum 75% attendance requirement for BHMS course students – reg.

Madam/Sir,

With reference to the subject cited above, this is to inform you that as per sub-clause (4) of regulation 9 of the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Graduate Degree Course – Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) Regulations, 2022), it is mandatory that students pursuing BHMS Course should secure minimum 75% attendance to become eligible to appear in examinations. Further, it is also mandatory that each student shall also maintains at least 75% (seventy-five percent) attendance in each subject separately in theory/lecture hours and practical and clinical/non-lecture hours for appearing in examinations.

2. It may be noted that if, at any stage, it is found that any student has been permitted to appear in an examination without securing the mandatory 75% attendance, the application submitted by the concerned College on the Ayush Education Portal for issuance of MQRL to such student(s) shall not be processed under any circumstances. Further, such instances shall invite regulatory action against the concerned Institution in accordance with the provisions of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020.

3. Accordingly, all the Registrar(s) of the Universities and Principal(s) of the Institutions conducting BHMS Course are hereby directed to take immediate cognizance of the above instructions and ensure that no student is permitted to appear in any professional examination until unless he/she fulfills the aforesaid criteria without making any exception.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Dr. Rajat Chattopadhyay)
President

Copy for information (via email):

1. The Chairperson, National Commission for Homoeopathy, New Delhi.
2. The Secretary, National Commission for Homoeopathy, New Delhi.
3. Guard File.

